

25/10/24 पत्रावली पेस हु। वकील जमी 37/ कागज
पत्रावली (पत्रावली 14/10/24) के अंतर्गत गप डि मंडि पुत्रावली
में वास्तविकता में पत्रावली पारित किं पाते हैं तो
राशि पुत्रावली नही लेता है। अतः वकील जमी की वध्य
पुत्री गंधी वान्ते वध्य अंतिम प्र. पत्र अंतर्गत धार
212 R.T.A. हेतु पत्रावली 25/10/24 को पेस है।

राज सिंह
पुत्रावली
नं. 37/24
0/2

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

23/10/24 पत्रावली पेस हु। वकील जमी 37/ कागज
कारण अंतिम नही कराव पा सकी वामे
अंतिम पत्रावली 28/10/2024 को पेस है।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

28/10/24 पत्रावली पेस हु। वकील पत्रावली 37/ डायरीना पत्र
कागज बाप 212 के कोडेय पुत्रावली से तैयार कर पत्रावली
में शामिल किया गये। डायरीना पत्र फेसल शुभा (लेकर
-कर ले कर है)।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 256/2019

ओमप्रकाश

बनाम

छोटूलाल

ओमप्रकाश पुत्र रमेशचन्द कौम खाती निवासी ग्राम गोदियाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० वगै०

— प्रार्थीगण

बनाम

छोटूलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति खाती निवासी जांगिड़ धर्मशाला के पास, आजाद नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज० वगै०

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गणेश प्रजापत ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि उन्होंने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 1 से 5 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गोदियाना पटवार हल्का उदयपुरखुर्द भू०अ० निरीक्षक बरना तहसील किशनगढ़ में स्थित है जिसके ख०नं० 139 व 140 कुल किता 2 कुल रकबा 29-12-00 भूमि है। जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी सं० 1 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी सं० 2 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 1 व 2 का संयुक्त 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा उसी के अनुसार वे वादअधीन भूमि में मौके पर कब्जे काश्त है। उक्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वादअधीन भूमि की नींव सींव को लेकर विवाद होते रहते हैं। दिनांक 25.10.2019 को प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का विभाजन राजीनामे से करने हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया, किन्तु अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गये तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हो गये। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी सं० 1 लगायत 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादअधीन भूमि में प्रार्थीगणों के कृषि कार्य में दखलंदाजी नहीं करे तथा वाद वर्णित भूमि का बैचान, अन्तरण नहीं करे।

प्रकरण को दिनांक 06.11.2019 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.12.2019 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 की ओर से वकील श्री रामलाल प्रजापत




उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 05.04.2021 को अप्रार्थी सं० 3 लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 02.04.2024 को अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 25.09.2024 को पैरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकन किया गया कि प्रकरण में आदेश किये जाने पर राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः दिनांक 25.09.2024 को वकील प्रार्थी की प्रकरण पर एकपक्षीय बहस सुनी गई, जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से ताहिद है कि वादअधीन भूमि पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। बिना विधिक विभाजन के वादअधीन भूमि से प्रार्थीगणों को उनके हक हिस्से से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

अतः अप्रार्थीगणों को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी कृषि भूमि ग्राम गोदियाना पटवार हल्का उदयपुरखुर्द भू०अ० निरीक्षक बरना तहसील किशनगढ़ में स्थित वादग्रस्त भूमि ख०नं० 139 व 140 कुल किता 2 कुल रकबा 29-12-00 भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश मैरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निशा संहारण (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)